न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार ......इन्द्रगढ़...... (बून्दी)

सरकार बनाम/ जगदीश / फूलचन्द सोनी नि. पीपल्दाबाग

निर्णय

मु.नं. 35/2018 तारीख रजू. 15-1-2018 तारीख निर्णय 29/1/2018

आज पत्रावली व मुकाम अटल सेवा केन्द्र मारखेड़ा पेश हुई कि गैर सायल उपस्थित है/नहीं है। रिपोर्ट पटवारी गांव मारखेड़ा प्राप्त होने पर यह है कि गैर सायल श्री जगदीश पुत्र श्री फूलचन्द सोनी जाति सोनी निवासी ~~पीपल्दाबाग~~ लाखेरी द्वारा आराजी खसरा नं. 128 रकबा 0.40 किस्म जमीन बा 2 मौजा पीपल्दाबाग पर संवत 2074 में अतिक्रमण कर काश्त/कब्जा कर लिया है। गैर सायल के नियमानुसार धारा 91 भू राजस्व अधिनियम सन1956/उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत नोटिस जारी किया गया जो बाद तामील शामील मिसल किया गया। अतिक्रमी बावजूद तामील के भी हाजिर नहीं है। उसके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। उसने कोई जवाब व सबूत पेश नहीं किया। अतिक्रमी ने उक्त सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा/काश्त करके धारा 91 एल.आर. एक्ट / राज. उपनि. अधिनियम की धारा 22 का उल्लंघन किया है। गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अतिक्रमी श्री जगदीश को आराजी खसरा नं. 128 रकबा 0.40 मौजा पीपल्दाबाग से बेदखल किया जाता है एवं लगान दर 7.00 से उक्त रकबा लगान 2.80 का 50 गुना में शास्ति 140 कायम की जाती है एवं फसल नीलामी फर्द तैयार करने व बेदखली हेतु पटवारी एवं भू. अभि. निरीक्षक को लिखा जावे तथा राजस्व लेखाकार एवं पटवारी को वसूली व जमा कायमी कराई जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय सारे इजलास सुनाया गया।

नायब तहसीलदार
इन्द्रगढ़, जिला-बून्दी (राज.)
तहसीलदार/नायब तहसीलदार
तहसील इन्द्रगढ़

दिनांक 29/1/2018